सी0एन0आर0 नं0–40226872019

04.06.19

अभियुक्तगण खसलत, रिजवाना, शबनम व गुलशन की ओर से मुकदमा नं0–509/17 अन्तर्गत धारा–498ए, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना हसनगंज जिला उन्नाव के मामले में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण स्वेच्छया से आत्म समर्पित होकर न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादिनी द्वारा लगाये गये आरोप सामूहिक रूप से लगाये गये हैं किसी व्यक्ति की विशिष्ट भूमिका स्पष्ट नहीं की गई है। अभियुक्त खसलत पीड़िता के ससुर हैं तथा वृद्ध हैं। अभियुक्ता रिजवाना पीड़िता की सास है, वृद्ध है तथा महिला है। अभियुक्तागण शबनम व गुलशन पीड़िता की ननद है तथा महिला हैं। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति एवं विचारण में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है। प्रत्येक अभियुक्त द्वारा मु0–20,000/–रू0 का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

ए0सी0जे0एम0 कोर्ट सं0–2, उन्नाव।